JALAUN POLICE

दिनांक – 21.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी श्री हिमांशु पुत्र शिव सिंह नि0 कस्बा व थाना आटा जनपद जालौन के पिता के साथ गाली-गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना आटा में दिनांक 16.03.2024 को मु0अ0सं0 37/2024 (वाद संख्या 85/24) धारा 323/504/506 भादवि बनाम 1- राम सिंह पुत्र प्रभुदयाल 2. संतोष 3. नीलू पुत्रगण राम सिंह नि0 ग्राम व थाना आटा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दौराने विवेचना साक्ष्य/तथ्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 308 भादवि की बढोत्तरी की गयी, तत्पश्चात उपचार के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो जाने पर धारा 304 भादवि की बढोत्तरी एवं धारा 308 भादवि का लोप किया गया। थाना आटा पुलिस द्वारा दिनांक 17.03.2024 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 18.07.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष का साधारण कारावास एवं 33,000-33,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।